

परिशिष्ट - 2

नवीन महाविद्यालय विकास समिति

समिति विधान पत्र

1.1 समिति का नाम

इस समिति का (प्रस्तावित नवीन) महाविद्यालय विकास समिति है व रहेगा।

1.2 पंजीकृत कार्यालय तथा कार्य क्षेत्र

इस समिति का पंजीकृत कार्यालय (प्रस्तावित नवीन) महाविद्यालय है तथा कार्य क्षेत्र स्थान तक समिति होगा।

1.3 समिति के उद्देश्य

इस समिति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1. नवीन महाविद्यालय की स्थापना करना।
2. महाविद्यालय भवन का निर्माण होने तक महाविद्यालय संचालन हेतु अस्थाई रूप से उपयुक्त भवन की व्यवस्था करना।
3. महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु स्थाई विकास कोष, चल व अचल सम्पत्ति का संग्रहण/निर्माण व वृद्धि करना व उनका प्रबन्ध करना।
4. नवीन महाविद्यालय एवं महाविद्यालय में विकास समिति द्वारा संचालित योजनाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु शुल्कों का निर्धारण करना।
5. महाविद्यालय में आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवाना तथा उनका संवर्धन करना।
6. महाविद्यालय परिसर को साफ सुथरा रखने हेतु कार्यवाही करना।
7. जनसहयोग/दानदाता/ट्रस्ट/सांसद एवं विधायक विकास कोष की सहायता से महाविद्यालय में विभिन्न निर्माण कार्य करवाना।
8. महाविद्यालय में आवश्यकतानुसार फर्नीचर/उपकरण आदि उपलब्ध करवाना।
9. पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाओं आदि का विकास करना।
10. निर्धन छात्रों को आर्थिक सहायकता प्रदान करना।
11. बाहर से आने वाले छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करवाना तथा उनका प्रबन्ध करना।
12. महाविद्यालयों में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करना।
13. खेलकूद की आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।
14. छात्रों को राष्ट्रीय जन चेतना के कार्यक्रमों में भाग लेने को प्रोत्साहित करना।
15. रचनात्मक एवं उच्च कोटि की सह-शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन।
16. प्राध्यापक अभिभावकों के मध्य संवाद स्थापित करना।
17. छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाने हेतु विशेष कक्षाएँ संचालित करना।
18. विकास समिति कोष में उपलब्ध राशि का महाविद्यालय हित में उपयोग।
19. गैर सरकारी संस्थाओं, दानदाताओं, व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों आदि से उपरोक्त कार्यक्रम की पूर्ति हेतु सहायता, चन्दा, धनराशि, उपकरण एवं भवन आदि प्राप्त करना।
20. महाविद्यालय परिसर में शैक्षणिक उन्नयन हेतु प्रयास एवं प्रबन्ध करना।
21. महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं की समस्याओं के निराकरण तथा उनके कैरियर एडवान्समेन्ट हेतु छात्र परामर्श केन्द्र स्थापित करना तथा उनका प्रबन्ध करना।
22. महाविद्यालय के समुचित विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करना।

23. नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने एवं महाविद्यालय में नवीन संकाय/विषय/वर्ग प्रारम्भ करने तथा स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर में क्रमोन्नत करने आदि सम्बन्धित योजनाएँ संचालित करना तथा इन योजनाओं की क्रियान्विति हेतु महाविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारी को यूजीसी एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता एवं उपयुक्तता के अनुसार चयन कर रखना।
24. महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं छात्रों के हित में स्थानीय उद्योगों से समन्वय स्थापित करना तथा इन उद्योगों के द्वारा महाविद्यालय में विशेष कार्यक्रम/प्रोजेक्ट/शोध प्राजोजित कराने हेतु प्रयास करना।
25. छात्रों के द्वारा विश्वविद्यालय परीक्षाओं में विशेष योग्यता अर्जित करने तथा खेलकूद एवं अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने पर अभिनन्दन करना तथा शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों में रूचि पैदा करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा योग्य छात्रों के लिए जनसहयोग से संचालित छात्रवृत्ति योजना क्रियान्वित करना।
26. महाविद्यालय में समर्पण भाव से श्रेष्ठ कार्य करने वाले प्राचार्य/उपाचार्य/प्राध्यापकों/कर्मचारियों को सम्मानित करना तथा जिला/राज्य स्तरीय सम्मान हेतु अनुशंसा करना।
27. महाविद्यालय के पूर्व छात्रों का महाविद्यालय से जुड़ाव कायम करने तथा उनसे आर्थिक तथा अन्य सहाय्ये प्राप्त करने हेतु प्रयास करना तथा वार्षिक समारोह आयोजित करना।
28. उच्च शिक्षा में महिलाओं/अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रयास करना तथा उनकी समस्याओं के संदर्भ में संवेदनपूर्वक विचार करना।
29. विकास समिति द्वारा प्रारम्भ किये गये नवीन महाविद्यालय एवं संचालित योजनाओं में भवनों का निर्माण निदेशालय द्वारा निर्धारित डिजाइन मानचित्र के आधार पर कराया जावेगा एवं इस हेतु धनराशि की व्यवस्था जनसहयोग/दानदाता/सांसद एवं विधायक विकास कोष (इस सम्बन्ध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा पारित नियमों के अनुसार) आदि स्रोतों से की जावेगी। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव निदेशालय कॉलेज शिक्षा को प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त की जावेगी।
30. महाविद्यालय संचालन हेतु आवर्ती/अनावर्ती व्यय की व्यवस्था समिति कोष/जनसहयोग/दानदाता तथा छात्र/छात्राओं से प्राप्त होने वाले शुल्क आदि से की जावेगी।
31. समिति की समस्त सम्पत्ति महाविद्यालय की होगी।

1.4 विकास समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य :

- | | | |
|-----|---|----------------------|
| 1. | जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अन्य स्थानों पर उपखण्ड अधिकारी | कार्यकारी अध्यक्ष |
| 2. | स्थानीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य | सदस्य |
| 3. | स्थानीय प्रबुद्ध नागरिक (जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत) | कार्यकारी कोषाध्यक्ष |
| 4. | निदेशक कॉलेज शिक्षा का प्रतिनिधि | कार्यकारी सदस्य सचिव |
| 5. | दो स्थानीय शिक्षाविद् (निदेशक कॉलेज शिक्षा द्वारा मनोनीत) | सदस्य |
| 6. | विधायक | सदस्य |
| 7. | दो प्रबुद्ध नागरिक (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत) | सदस्य |
| 8. | जिला मुख्यालय पर जिला प्रमुख एवं अन्य स्थानों पर नगर परिषद/नगर पालिका अध्यक्ष एवं ग्राम नगर परिषद/नगर पालिका अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत में सरपंच | सदस्य |
| 9. | दो अभिभावक (जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत) | सदस्य |
| 10. | दो दानदाता एवं ट्रस्टी (जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत) | सदस्य |
| 11. | जिला परिषद एवं पंचायत समिति के एक-एक सदस्य (जिला प्रमुख/प्रधान द्वारा मनोनीत) | सदस्य |

महाविद्यालय विकास समिति के पंजीयन के बाद महाविद्यालय प्रारम्भ होने पर विकास समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य जिनका विवरण परिशिष्ट-2अ में दर्शाया गया है के अनुरूप निर्धारित होगी।

1.5 महाविद्यालय में एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अन्य स्थानों पर उपखण्ड अधिकारी | कार्यकारी अध्यक्ष |
| 2. विधायक | सदस्य |
| 3. निदेशक कॉलेज शिक्षा का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4. स्थानीय प्रबुद्ध नागरिक (जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत) | कार्यकारी कोषाध्यक्ष |
| 5. स्थानीय सीनियर सैकैण्डरी स्कूल का प्राचार्य | कार्यकारी सदस्य सचिव |
| 6. जिला मुख्यालय पर जिला प्रमुख एवं अन्य स्थानों पर नगर परिषद/नगर पालिका अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत से सरपंच | सदस्य |
| 7. विकास समिति द्वारा मनोनीत 1 शिक्षाविद् (जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत) | सदस्य |

महाविद्यालय विकास समिति के पंजीयन के बाद महाविद्यालय प्रारम्भ होने पर कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य जिनका विवरण परिशिष्ट-2ब में दर्शाया गया है। के अनुरूप निर्धारित होगी।

- 1.6 हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्नप्रकार हैं, इस समिति विधान पत्र के अन्तर्गत इस समिति के रूप में गठित होने व इसे राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण करवाने के इच्छुक हैं :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अन्य स्थानों पर उपखण्ड अधिकारी | कार्यकारी अध्यक्ष |
| 2. स्थानीय सीनियर सैकैण्डरी स्कूल प्राचार्य | सदस्य |
| 3. स्थानीय प्रबुद्ध नागरिक (जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत) | कार्यकारी कोषाध्यक्ष |
| 4. निदेशक कॉलेज शिक्षा का प्रतिनिधि | कार्यकारी सदस्य सचिव |
| 5. दो स्थानीय शिक्षाविद् (निदेशक कॉलेज शिक्षा द्वारा मनोनीत) | सदस्य |
| 6. विधायक | सदस्य |
| 7. दो प्रबुद्ध नागरिक (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत) | सदस्य |
| 8. जिला मुख्यालय पर जिला प्रमुख एवं अन्य स्थानों पर नगर परिषद/नगर पालिका अध्यक्ष एवं ग्राम नगर परिषद/नगर पालिका अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत में सरपंच | सदस्य |
| 9. दो अभिभावक (जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत) | सदस्य |
| 10. दो दानदाता एवं ट्रस्टी (जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत) | सदस्य |
| 11. जिला परिषद एवं पंचायत समिति के एक-एक सदस्य (जिला प्रमुख/प्रधान द्वारा मनोनीत) | सदस्य |

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं उन्होंने हमारे समक्ष अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम समिति के सदस्य नहीं हैं।

1. हस्ताक्षर
(नाम)
व्यवसाय :
पूर्ण पता :

2. हस्ताक्षर
(नाम)
व्यवसाय :
पूर्ण पता :

नोट : विन्दु सं. 1.6 पर अंकित प्रस्ताव हेतु कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी सदस्य सचिव तथा कार्यकारी कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त प्रस्ताव करने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम 8 होनी चाहिए, ताकि प्रस्ताव करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या कम से कम 11 हो।

नवीन महाविद्यालय विकास समिति

समिति के नियम/उपनियम

1.1 समिति का नाम

इस समिति का (प्रस्तावित नवीन) महाविद्यालय विकास समिति है व रहेगा।

1.2 पंजीकृत कार्यालय तथा कार्य क्षेत्र

इस समिति का पंजीकृत कार्यालय (प्रस्तावित नवीन) महाविद्यालय है तथा कार्य क्षेत्र स्थान तक समिति होगा।

1.3 समिति के उद्देश्य

इस समिति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1. नवीन महाविद्यालय की स्थापना करना।
2. महाविद्यालय भवन का निर्माण होने तक महाविद्यालय संचालन हेतु अस्थाई उपयुक्त भवन की व्यवस्था करना।
3. महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु स्थाई विकास कोष, चल व समिति का संग्रहण/निर्माण व वृद्धि करना व उनका प्रबन्ध करना।
4. नवीन महाविद्यालय एवं महाविद्यालय में विकास समिति द्वारा संचालित योजनाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु शुल्कों का निर्धारण करना।
5. महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाना तथा उनका संवर्धन करना।
6. महाविद्यालय परिसर को साफ सुथरा रखने हेतु कार्यवाही करना।
7. जनसहयोग/दानदाता/ट्रस्ट/सांसद एवं विधायक विकास कोष की सहायता से महाविद्यालय में विभिन्न निर्माण कार्य करवाना।
8. महाविद्यालय में आवश्यकतानुसार फर्नीचर/उपकरण आदि उपलब्ध करवाना।
9. पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाओं आदि का विकास करना।
10. निर्धन छात्रों को आर्थिक सहायकता प्रदान करना।
11. बाहर से आने वाले छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करवाना तथा उनका प्रबन्ध करना।
12. महाविद्यालयों में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करना।
13. खेलकूद की आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।
14. छात्रों को राष्ट्रीय जन चेतना के कार्यक्रमों में भाग लेने को प्रोत्साहित करना।
15. रचनात्मक एवं उच्च कोटि की सह-शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन।
16. प्राध्यापक अभिभावकों के मध्य संवाद स्थापित करना।
17. छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाने हेतु विशेष कक्षाएँ संचालित करना।
18. विकास समिति कोष में उपलब्ध राशि का महाविद्यालय हित में उपयोग।
19. गैर सरकारी संस्थाओं, दानदाताओं, व्यवसाइयों एवं उद्योगपतियों आदि से उपरोक्त कार्यक्रमों की पूर्ति हेतु सहायता, चन्दा, धनराशि, उपकरण एवं भवन आदि प्राप्त करना।
20. महाविद्यालय परिसर में शैक्षणिक उन्नयन हेतु प्रयास एवं प्रबन्ध करना।
21. महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं की समस्याओं के निराकरण तथा उनके कैरियर एडवान्समेन्ट हेतु छात्र परामर्श केन्द्र स्थापित करना तथा उसका प्रबन्ध करना।
22. महाविद्यालय के समुचित विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करना।

23. नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने एवं महाविद्यालय में नवीन संकाय/विषय/वर्ग प्रारम्भ करने तथा स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर में क्रमोन्नत करने आदि सम्बन्धित योजनाएँ संचालित करना तथा इन योजनाओं की क्रियान्विति हेतु महाविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारी को यू.जी.सी. एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता एवं उपयुक्तता के अनुसार चयन कर रखना।
24. महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं छात्रों के हित में स्थानीय उद्योगों से समन्वय स्थापित करना तथा इन उद्योगों के द्वारा महाविद्यालय में विशेष कार्यक्रम/प्रोजेक्ट/शोध प्राजोजित कराने हेतु प्रयास करना।
25. छात्रों के द्वारा विश्वविद्यालय परीक्षाओं में विशेष योग्यता अर्जित करने तथा खेलकूद एवं अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने पर अभिनन्दन करना तथा शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों में रूचि पैदा करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा योग्य छात्रों के लिए जनसहयोग से संचालित छात्रवृत्ति योजना क्रियान्वित करना।
26. महाविद्यालय में समर्पण भाव से श्रेष्ठ कार्य करने वाले प्राचार्य/उपाचार्य/ प्राध्यापकों/कर्मचारियों को सम्मानित करना तथा जिला/राज्य स्तरीय सम्मान हेतु अनुशंसा करना।
27. महाविद्यालय के पूर्व छात्रों का जुड़ाव कायम करने तथा उनसे आर्थिक तथा अन्य सहाय्य प्राप्त करना तथा वार्षिक समारोह आयोजित करना।
28. उच्च शिक्षा में महिलाओं/अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रयास करना तथा उनकी समस्याओं के संदर्भ में संवेदनपूर्वक विचार करना।
29. विकास समिति द्वारा प्रारम्भ किये गये नवीन महाविद्यालय एवं संचालित योजनाओं में भवनों का निर्माण निदेशालय द्वारा निर्धारित डिजाइन मानचित्र के आधार पर कराया जावेगा एवं इस हेतु धनराशि की व्यवस्था जनसहयोग/दानदाता/सांसद एवं विधायक विकास कोष (इस सम्बन्ध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा पारित नियमों के अनुसार) आदि स्रोतों से की जावेगी। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव निदेशालय कॉलेज शिक्षा को प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त की जावेगी।
30. महाविद्यालय संचालन हेतु आवर्ती/अनावर्ती व्यय की व्यवस्था समिति कोष/जन सहयोग/दानदाता तथा छात्र/छात्राओं से प्राप्त होने वाले शुल्क आदि से की जावेगी।
31. समिति की समस्त सम्पत्ति महाविद्यालय की होगी।

1.4 विकास समिति के अध्यक्ष, सदस्य सचिव एवं सदस्यों का कार्यकाल :

1. पदेन अध्यक्ष/सदस्यों के लिए पद पर रहने तक। पद से स्थानान्तरण, सेवानिवृत्ति या हटने पर सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
2. मनोनीत सदस्यों के लिए :- तीन वर्ष। लेकिन वे तीन वर्ष के लिए पुनः मनोनीत किये जा सकते हैं। लेकिन मनोनयनकर्ता की अभिशंसा पर समिति निर्धारित अवधि के पूर्व भी सदस्यता समाप्त कर सकती है।
3. छात्रसंघ पदाधिकारी/मनोनीत छात्र सदस्य- एक शैक्षणिक सत्र। सत्र समाप्ति पर सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
4. सहवृत्त सदस्यों के लिए-1 वर्ष
5. नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ होने के बाद विकास समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य परिशिष्ट -2अ के अनुरूप होंगे। इस हेतु विकास समिति द्वारा नियमानुसार पारित प्रस्ताव के बाद जो पदाधिकारी/सदस्यों परिशिष्ट-2अ में अंकित पदाधिकारी/सदस्यों में नहीं है, उनका कार्यकाल स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

1.5 विकास समिति के अधिकार और कर्तव्य :-

1. समिति द्वारा संचालित योजनाओं का वार्षिक बजट तैयार करना।
2. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
3. योग्यताधारी व्यक्तियों का चयन करते समय आवश्यकतानुसार वेतन का निर्धारण करना एवं भुगतान करना।
4. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियाँ बनाना।
5. समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऐसे अन्य कार्य जो महाविद्यालय के हितार्थ हों, करना।
6. महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु योजनाएँ तैयार कर क्रियान्वित करना।

7. छात्र कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ करना एवं उनका संचालन करना।
8. विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयास करना।

1.6 विकास समिति की बैठकें :

1. विकास समिति की वर्ष में कम से कम चार बैठक अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक अध्यक्ष/सदस्य सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. विकास समिति की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व निर्धारित समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे।

1.6 विकास समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

महाविद्यालय विकास समिति के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

(अ) अध्यक्ष

1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर अपने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकें आहूत करना।
4. समस्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
5. ऐसे अन्य कार्य जो समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हों।
6. विकास समिति द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारों का प्रयोग करना।
7. आय-व्यय पर नियंत्रण करना।
8. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
9. विकास समिति द्वारा संचालित योजनाओं में रखे गये कर्मचारियों पर नियंत्रण करना।

(ब) सदस्य-सचिव

1. बैठकों आहूत करना।
2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
3. पत्र व्यवहार करना।
4. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
5. विकास समिति द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना।
6. समिति के द्वारा किये जाने वाली क्रय एवं भवन निर्माण आदि का सम्पादन राजकीय नियमों के अनुसार प्रबन्ध समिति से अनुमोदित करवाकर सम्पादित करना।
7. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

(स) कोषाध्यक्ष

1. विकास समिति द्वारा संचालित योजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित वेतन के अनुसार भुगतान करना।
2. समिति का सम्पूर्ण लेखा-जोखा का विधिवत् अंकक्षण करवाना, अंकक्षण रिपोर्ट विकास समिति की बैठक में प्रस्तुत करना व निदेशालय में भिजवाना।
3. विकास समिति द्वारा संचालित योजनाओं की सम्भावित लागत का विवरण तैयार कर समिति के सामने प्रस्तुत करना।

1.8 सदस्यता से निष्काषण :

संस्था के सदस्यों का निष्काषण :

1. मृत्यु होने पर
2. स्थानान्तरण हो जाने पर
3. त्यागपत्र देने पर

4. छात्र प्रतिनिधि-महाविद्यालय छोड़ने पर अथवा उपस्थिति की कमी के कारण स्वयंपाठी हो जाने पर अथवा दुराचरण करने पर अथवा महाविद्यालय से निष्कासित होने पर
5. समिति के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
6. मनोनीत/सहवर्तित सदस्य समिति के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करते हैं तो उनकी सदस्यता समयावधि पूर्व ही समाप्त की जा सकती है।

1.9 समिति का कोष

संस्था का कोष निम्नप्रकार से संचित होगा।

1. चन्दा
2. शुल्क
3. अनुदान
4. सहायता
5. समिति कोष की जमा से प्राप्त ब्याज/अन्य लाभ

नोट :

1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंक में सुरक्षित रखी जावेगी।
2. बैंक से लेन-देन अध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव दोनों के संयुक्त हस्ताक्षरों से सम्पादित किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में विकास समिति द्वारा निर्धारित सीमा में अध्यक्ष बैंक के साथ लेन-देन कर सकेगा।
3. विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राशि के उपयोग/व्यय में नियमानुसार निर्धारित नियमों का पालन किया जावेगा।

1.10 कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार

महाविद्यालय के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार अध्यक्ष समिति की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेगा। इस राशि का अनुमोदन विकास समिति से कराया जाना आवश्यक होगा।

1.11 समिति के लेखों का अंकेक्षण

अंकेक्षक की नियुक्ति विकास समिति द्वारा की जावेगी। समिति के समस्त लेखों-जोखों का वार्षिक विधिवत अंकेक्षण कराया जावेगा तथा अंकेक्षण रिपोर्ट विकास समिति के सम्मुख प्रस्तुत की जावेगी एवं अनुमोदित रिपोर्ट निदेशालय को भिजवायी जानी आवश्यक होगी। इस की प्रति प्रतिवर्ष निदेशालय कॉलेज शिक्षा को प्रस्तुत की जावेगी।

1.12 समिति के विधान में परिवर्तन

समिति के विधान में आवश्यकतानुसार विकास समिति के कुल सदस्यों के 3/4 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संसोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

1.13 समिति का विघटन

यदि समिति का विघटन करना आवश्यक हुआ, तो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। विघटन की सूचना निदेशालय कॉलेज शिक्षा को प्रेषित करनी होगी तथा समिति की समस्त चल व अचल सम्पत्ति महाविद्यालय/राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दी जावेगी।

1.14 समिति के लेख-जोखे का निरीक्षण

निदेशक कॉलेज शिक्षा एवं रजिस्टार सहकारी संस्थाएँ, जयपुर को संस्था के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की क्रियान्विति हेतु समिति निर्णय लेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) राजकीय महाविद्यालय) विकास समिति की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

अध्यक्ष

सदस्य सचिव

विकास समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य

1.	प्राचार्य	अध्यक्ष
2.	सांसद	सदस्य
3.	विधायक	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय पर जिला प्रमुख एवं अन्य स्थानों पर नगर परिषद/नगर पालिका अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत में सरपंच	सदस्य
5.	जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि जो उपखण्ड अधिकारी स्तर से कम का न हो	सदस्य
6.	निदेशक कॉलेज शिक्षा का प्रतिनिधि	सदस्य
7.	दो स्थानीय शिक्षाविद प्राचार्य द्वारा मनोनीत	सदस्य
8.	दो प्रबुद्ध नागरिक, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	सदस्य
9.	उपाचार्य/संकाय का वरिष्ठतम सदस्य	सदस्य सचिव
10.	छात्रसंघ/अध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा मनोनीत छात्र प्रतिनिधि	सदस्य
11.	प्राचार्य द्वारा मनोनीत संकाय सदस्य	कोषाध्यक्ष
12.	2 अभिभावक (सहवरण द्वारा)	सदस्य
13.	दानदाता/ट्रस्टी (समिति द्वारा सहवरण)	सदस्य

महाविद्यालय की कार्यकारिणी समिति के सदस्य

1.	प्राचार्य	अध्यक्ष
2.	जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि	सदस्य
3.	निदेशक कॉलेज शिक्षा का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	कोषाध्यक्ष (विकास समिति द्वारा मनोनीत)	सदस्य
5.	विकास समिति द्वारा मनोनीत एक शिक्षाविद एवं एक प्रबुद्ध नागरिक	सदस्य
6.	उपाचार्य/वरिष्ठतम संकाय सदस्य	सदस्य सचिव

नवीन महाविद्यालय की सम्भावित लागत

क्र. सं.	श्रेणी	प्रथम 3 वर्षों का राजस्व व्यय	पूजीगत व्यय (भवन आदि)	(राशि लाख रूपयों में) योग
1	2	3	4	5
1.	एक संकाय (कला एवं वाणिज्य)	40.00	50.00	90.00
2.	एक संकाय (विज्ञान संकाय)	70.00	80.00	150.00
3.	दो संकाय (कला एवं वाणिज्य)	52.00	70.00	122.00
4.	दो संकाय (कला अथवा वाणिज्य एवं विज्ञान)	83.00	100.00	183.00
5.	तीन संकाय (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान)	103.00	120.00	223.00

राजकीय महाविद्यालय विकास समिति.....

समिति विधान पत्र

1.1. समिति का नाम

इस समिति का नाम राजकीय महाविद्यालय विकास समिति है व रहेगा।

1.2 पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र

इस समिति का पंजीकृत कार्यालय राजकीय महाविद्यालय है तथा कार्य क्षेत्र स्थान तक समिति होगा।

1.3 समिति के उद्देश्य

इस समिति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1. महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु स्थाई विकास कोष, चल व अचल सम्पत्ति का संग्रहण/निर्माण व वृद्धि करना व उनका प्रबन्ध करना।
2. महाविद्यालय में विकास समिति द्वारा संचालित योजनाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु शुल्कों का निर्धारण करना।
3. महाविद्यालय में आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवाना तथा उनका संवर्धन करना।
4. महाविद्यालय परिसर को साफ सुथरा रखने हेतु कार्यवाही करना।
5. जनसहयोग/दानदाता/ट्रस्ट/सांसद एवं विधायक विकास कोष की सहायता से महाविद्यालय में विभिन्न निर्माण कार्य करवाना।

6. महाविद्यालय में आवश्यकतानुसार फर्नीचर/उपकरण आदि उपलब्ध करवाना।
7. पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाओं आदि का विकास करना।
8. निर्धन छात्रों को आर्थिक सहायकता प्रदान करना।
9. बाहर से आने वाले छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करवाना तथा उनका प्रबन्ध करना।
10. महाविद्यालयों में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करना।
11. खेलकूद की आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।
12. छात्रों को राष्ट्रीय जन चेतना के कार्यक्रमों में भाग लेने को प्रोत्साहित करना।
13. रचनात्मक एवं उच्च-कोटि की सह-शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन।
14. प्राध्यापक अभिभावकों के मध्य संवाद स्थापित करना।
15. छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाने हेतु विशेष कक्षाएँ संचालित करना।
16. विकास समिति कोष में उपलब्ध राशि का महाविद्यालय हित में उपयोग।
17. गैर सरकारी संस्थाओं, दानदाताओं, व्यवसायों एवं उद्योगपतियों आदि से उपरोक्त कार्यक्रमों की पूर्ति हेतु सहायता, चन्दा, धनराशि, उपकरण एवं भवन आदि प्राप्त करना।
18. महाविद्यालय परिसर में शैक्षणिक उन्नयन हेतु प्रयास एवं प्रबन्ध करना।
19. महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं की समस्याओं के निराकरण तथा उनके केरियर एडवॉन्समेन्ट हेतु छात्र परामर्श केन्द्र स्थापित करना तथा उसका प्रबन्ध करना।
20. महाविद्यालय के समुचित विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करना।
21. महाविद्यालय में नवीन संकाय/विषय/वर्ग प्रारम्भ करने तथा स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर में क्रमोन्नत करने आदि सम्बन्धित योजनाएँ संचालित करना तथा इन योजनाओं की स्तर में क्रमोन्नत करने आदि सम्बन्धित योजनाएँ संचालित करना तथा इन योजनाओं क्रियान्विति हेतु महाविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारी को क्रमशः यू.जी.सी. एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता एवं उपयुक्तता के अनुसार चयन कर रखना।
22. महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं छात्रों के हित में स्थानीय उद्योगों से समन्वय स्थापित करना तथा इन उद्योगों के द्वारा महाविद्यालय में विशेष कार्यक्रम/प्रोजेक्ट/शोध प्राजोजित कराने हेतु प्रयास करना।
23. छात्रों के द्वारा विश्वविद्यालय परीक्षाओं में विशेष योग्यता अर्जित करने तथा खेलकूद एवं अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियों में विशेष उपलब्धी प्राप्त करने पर अभिनन्दन करना तथा शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों में रूचि पैदा करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा योग्य छात्रों के लिए जनसहयोग से संचालित छात्रवृत्ति योजना क्रियान्वित करना।
24. महाविद्यालय में समर्पण भाव से श्रेष्ठ कार्य करने वाले प्राचार्य/उपाचार्य/ प्राध्यापकों/ कर्मचारियों को सम्मानित करना तथा जिला/राज्य स्तरीय सम्मान हेतु अनुशंसा करना।
25. महाविद्यालय के पूर्व छात्रों का महाविद्यालय से जुड़ाव कायम करने तथा उनसे आर्थिक तथा अन्य सहाय्ये प्राप्त करने हेतु प्रयास करना तथा वार्षिक समारोह आयोजित करना।
26. उच्च शिक्षा में महिलाओं/अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रयास करना तथा उनकी समस्याओं के संदर्भ में संवेदनपूर्वक विचार करना।
27. विकास समिति द्वारा संचालित योजनाओं में भवनों का निर्माण निदेशालय द्वारा निर्धारित डिजाइन मैप के आधार पर कराया जावेगा तथा इसके लिए वित्त की व्यवस्था जनसहयोग/दानदाता/सांसद एवं विधायक विकास कोष (इस सम्बन्ध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा पारित नियमों के अनुसार) आदि स्रोतों से की जावेगी। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव निदेशालय कॉलेज शिक्षा को प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्तकरेगी।
28. महाविद्यालय संचालन हेतु आवर्ती/अनावर्ती व्यय की व्यवस्था समिति कोष/जन सहयोग/दानदाता तथा छात्र/छात्राओं से प्राप्त होने वाले शुल्क आदि से की जावेगी।
29. समिति की समस्त सम्पत्ति महाविद्यालय की होगी।

1.4 विकास समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य :

1. प्राचार्य
2. सांसद

अध्यक्ष
सदस्य

3.	विधायक	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय पर जिला प्रमुख एवं अन्य स्थानों पर नगर परिषद/नगर पालिका अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत में सरपंच	सदस्य
5.	जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि जो उपखण्ड अधिकारी स्तर से कम का न हो	सदस्य
6.	निदेशक कॉलेज शिक्षा का प्रतिनिधि	सदस्य
7.	दो स्थानीय शिक्षाविद प्राचार्य द्वारा मनोनीत	सदस्य
8.	दो प्रबुद्ध नागरिक, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	सदस्य
9.	उपाचार्य/संकाय का वरिष्ठतम सदस्य	सदस्य सचिव
10.	छात्रसंघ/अध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा मनोनीत छात्र प्रतिनिधि	सदस्य
11.	प्राचार्य द्वारा मनोनीत संकाय सदस्य	कोषाध्यक्ष
12.	2 अभिभावक (सहवरण द्वारा)	सदस्य
13.	दानदाता/ट्रस्टी (समिति द्वारा सहवरण)	सदस्य

1.5 महाविद्यालय में एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1.	प्राचार्य	अध्यक्ष
2.	जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि	सदस्य
3.	निदेशक कॉलेज शिक्षा का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	कोषाध्यक्ष (विकास समिति द्वारा मनोनीत)	सदस्य
5.	विकास समिति द्वारा मनोनीत एक शिक्षाविद एवं एक प्रबुद्ध नागरिक	सदस्य
6.	उपाचार्य	सदस्य सचिव

1.6 हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्नप्रकार हैं, इस समिति विधान पत्र के अन्तर्गत इस समिति के रूप में गठित होने व इसे राजस्थान संस्था रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण करवाने के इच्छुक है :

1.	प्राचार्य	अध्यक्ष
2.	विधायक	सदस्य
3.	जिला मुख्यालय पर जिला प्रमुख एवं अन्य स्थानों पर नगर परिषद/नगर पालिका अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत में सरपंच	सदस्य
4.	जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि	सदस्य
5.	दो स्थानीय शिक्षाविद	सदस्य
6.	दो प्रबुद्ध नागरिक,	सदस्य सचिव
7.	उपाचार्य/संकाय का वरिष्ठतम सदस्य	सदस्य
8.	छात्रसंघ/अध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा मनोनीत छात्र प्रतिनिधि	सदस्य
9.	कोषाध्यक्ष	सदस्य
10.	दो संकाय सदस्य	सदस्य
11.	दो अभिभावक	सदस्य

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं उन्होंने हमारे समक्ष अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम समिति के सदस्य नहीं हैं।

1. हस्ताक्षर
(नाम)
व्यवसाय :
पूर्ण पता :

2. हस्ताक्षर
(नाम)
व्यवसाय :
पूर्ण पता :